रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1968] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
No. 1968] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2491(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 1274(अ), तारीख 15 मई, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के किमी. 308/0 से किमी. 378/115 तक (जोधपुर–पाली खण्ड) में पाली जिले के किमी. 336/400 से किमी. 378/115 तक के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 24 मई, 2014 को हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप में ''राजस्थान पत्रिका'', ''दैनिक भास्कर'' व ''दैनिक नवज्योति'' के पाली संस्करण में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 कि.मी. 308/0 से कि.मी. 378/115 (जोधपुर–पाली खण्ड) तक पाली जिले में कि.मी. 336/400 से कि.मी. 378/115 तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण की संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पाली	पाली	बलदो की ढाणी	652/416/1	निजी	बारानी अव्वल	0.02000	भगवती देवी पत्नी सोहनलाल चन्देल जाति खटीक सा. 39 जालोरी दरवाजा पाली खातेदार
2				669/416	निजी	बारानी सोयम	0.00900	श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी सुमेरचन्द भण्डारी जाति ओसवाल निवासी अरिहन्त 682ए 10वीं, सी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर तह. जोधपुर जिला जोधपुर खातेदार
3				679/416	निजी	बारानी सोयम	0.01710	श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी सुमेरचन्द भण्डारी जाति ओसवाल निवासी अरिहन्त 682ए 10वीं, सी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर तह. जोधपुर जिला जोधपुर खातेदार
4				416	सरकारी	बारानी सोयम	0.30620	राज्य सरकारी (चालू पड़त या 1 वर्ष प. जुताई हेतु)
5				418 418/1	निजी निजी	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	0.23700	भगवती देवी चन्देल पत्नी सोहनलाल चन्देल 14.00 बीघा सोहनलाल चन्देल पुत्र बाबूलाल चन्देल 10.00 बीघा जाति खटीक सा. 39 जालोरी दरवाजा पाली खातेदार भगवती देवी धर्मपत्नि सोहनलाल चन्देल 10 बीघा जाति खटीक सा. 39 जालोरी दरवाजा पाली खातेदार
6				419	निजी	बारानी अव्वल	0.07000	जयरामदास पुत्र जगजीवनराम, नरेश सुरेन्द्र पि. जयरामदास कौम मोची सा. लखारा बाजार जोधपुर हि. 1.06 बीघा – घीसाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. भावरी तह. पाली 9.06 बीघा =1/3 हि. श्रीमति गंगा पत्नी भेराराम जाति मेघवाल सा. बाण्डाई तह. रोहट जि. पाली 1.07 बीघा घीसाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. भावरी 9.04 बीघा =1/3 हि. जोराराम पुत्र भेराराम जाति बावरी सा. खारड़ा तह. रोहट हि. 1/3 खातेदार
						कुल	**0.65930**	

[फा सं. आरडब्ल्यू/एनएच–37014/20/2010–एनएचडीपी–IVA]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O. 2491(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1274(E) dated 15th May 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 65 on the stretch of land from Km. 308/00 to Km. 378/115 (Jodhpur-Pali section) in Pali district from Km. 336/400 to Km. 378/115 in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification in Hindi and English versions has been published in 'Rajasthan Patrika', 'Dainik Bhaskar' and 'Danik Navjyoti' in Pali Edition dated 24th May, 2014 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired for building of National Highway No. 65 from km. 308/0 to km. 378/115 (Jodhpur-Pali Section) in Pali District from km. 336/400 to km. 378/115 in the state of Rajasthan

Sr. No.	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Related Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pali	Pali	Baldo Ki Dhani	652/416/1	P	Barani Avval	0.02000	Bhagwati Devi W/o Sohanlal Chandel Cast-Khatik, Sa. 39, Jalori Gate, Pali Khatedar
2				669/416	P	Barani Soyam	0.00900	Smt. Chandra W/o Sumerchand Bhandari Cast-Oswal Res. Arihant 682A 10th 'C' Road, Sardarpura, Jodhpur Teh.-Jodhpur Distt.-Jodhpur Khatedar
3				679/416	P	Barani Soyam	0.01710	Smt. Chandra W/o Sumerchand Bhandari Cast-Oswal Res. Arihant 682A 10th 'C' Road, Sardarpura, Jodhpur Teh.-Jodhpur Distt.-Jodhpur Khatedar
4				416	G	Barani Soyam	0.30620	State Govt. (Chalo Padat or 1 Year Padat For Jutai)
5				418 418/1	P P	Barani Avval Barani Avval	0.23700	Bhagwati Devi Chandel W/o Sohanlal Chandel 14.00 Bigha, Sohanlal Chandel S/o Babulal Chandel 10.00 Bigha, Cast-Khatik, Sa. 39, Jalori Gate, Pali Khatedar Bhagwati Devi W/o Sohanlal Chandel 10 Bigha Cast-Khatik, Sa. 39 Jalori Gate, Pali, Khatedar

Sr. No.	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Related Persons
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6				419	P	Barani Avval	0.07000	Jayram Das S/o Jagjeevan Ram, Naresh, Surendra, S/o Jayram Das Cast-Mochi, Sa. Lakhara Bajar, Jodhpur Hisa. 1.06 Bigha - Ghisaram S/o Gangaram Cast-Meghwal Sa. Bhanwri Teh. Pali 9.06 Bigha = 1/3 Hissa. Smt. Ganga W/o Bheraram Cast-Meghwal Sa. Bandai Teh. Rohat Distt.-Pali 1.07 Bigha Ghisaram S/o Gangaram Cast-Meghwal Sa. Bhawri 9.04 Bigha = 1/3 Hissa Joraram S/o Bheraram Cast-Bawri, Sa. Kharda, Teh. Roaht Hissa 1/3 Khatedar
						Total	**0.65930**	

[F. No. RW/NH-37014/20/2010-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.